न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 8/2018

अनवान : –

1. भगवानाराम पुत्र बुलाकीराम जाति जांगिड ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर हाल चक न0 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम्

1. दुर्गाराम पुत्र बुलाकीराम जाति जांगिड ब्राहमण निवासी वार्ड स० 05 नोहर तहसील नोहर हाल चक न० 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. उर्मिला पुत्री बुलाकीराम जाति जांगिड ब्राहमण निवासी वार्ड स० 05 नोहर तहसील नोहर हाल चक न० 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सुशीला पुत्री जाति जांगिड ब्राहमण निवासी वार्ड स० 05 नोहर तहसील नोहर हाल चक न० 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक: 15/09/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 15 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स० 73/76 की कुल तादादी 8.6020 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा वाके रोही मौजा चक न० 15 बारानी तहसील नोहर मुस्मी बुलाकीराम पुत्र इन्द्राज जाति जागिड़ ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर की कब्जा काश्त की स्वअर्जित खातेदारी भूमि थी था इसी प्रकार से रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 19/17 की कुल 13.1560 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि बलाकीराम पुत्र इन्द्राज के नाम दर्ज थी एवं रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 62/51 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से 80 हिस्सा यानि की 1.0120 हैक्ट बुलाकीराम पुत्र इन्द्राज के नाम दर्ज थी।

बुलाकीराम पुत्र इन्द्राज जाति जांगिड़ ने अपनी खातेदारी भूमि अपने पुत्रों भगवानाराम वादी व दुर्गाराम प्रतिवादी स0 1 की सेवा चाकरी से खुश होकर मोतबिरान केक रोबरू दिनांक 08.09.2015 को रजिस्टर्ड वसीयत कर दी तथा बुलाकीराम पुत्र इन्द्राज ने दिनांक 14.11.2017 को फौत होने के पश्चात उसकी वसीयत दिनांक 08.09.2015 के आधार पर वादी व प्रतिवादी स0 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार हुए एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है लेकिन उक्त वाद भूमि का ना[illegible]ताबिक वसीयत दर्ज न होकर सायल व गैरसायलान संख्या 1 ता 3 के [illegible] प्रतिवादी स0 1 ने गलत तौर से दर्ज करवा लिया जबकि उक्त भूमि [illegible] सायल स0 1 के [illegible] दर्ज होनी थी। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सभी के नाम गलत तौर [illegible] दर्ज होने के कारण [illegible] सायल इसका नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि का रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायल को अपूर्णीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:20 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्षति होगी इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक वाद भूमि के मौका व रिकार्ड की यथस्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 15 बारानी के खाता संख्या 73/76 की 8.6000 हैक में से 1/5 हिस्सा, रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 19/17 की कुल तादादी 13.1580 हैक में से 1/5 हिस्सा एवं चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 62/51 की कुल तादादी 5.0600 हैक में से 80 हिस्सा यानी 1.0120 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने निवेदन किया की जवाब नही देना चाहते है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थी का कथन है कि बुलाकीराम ने अपनी स्वयं की अर्जित सम्पति की वसीयत सायल व गैरसायल स0 1 के पक्ष मे की थी एंव बुलाकीराम के देहान्त के मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज होना था लेकिन अप्रार्थी स 1 ने विरासतन नामान्तरण सायल व गैरसायल स0 1 ता 3 के बहिब दर्ज करवा लिया एवं गैरसायलान के नाम गलत दर्ज होने से वाद भूमि को रहन, बैय व मुंतकिल करने पर उतारू है पत्रावली में प्रस्तुत वसीयत की चित्रप्रति के मुताबिक बुलाकीराम द्वारा सायल व गैरसायल स0 1 के पक्ष मे वसीयत निष्पादित की गई है एवं वर्तमान जमाबंदी व नामान्तरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद भूमि सायल व गैरसायल स0 1 ता 3 के बहिब दर्ज हुई है प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि मुताबिक वसीयत दर्ज होनी चाहिए थी उक्त बिन्दु वाद में निर्धारित होना है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि सायल व गैरसायलान के नाम दर्ज है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन हैं, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता हैं ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>- सुविधा का सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का खातेदार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थी का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:20 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 15 बारानी के खाता संख्या 73/76 की 8.6000 हैक में से 1/5 हिस्सा, रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 19/17 की कुल तादादी 13.1580 हैक में से 1/5 हिस्सा एवं चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 62/51 की कुल तादादी 5.0600 हैक में से 80 हिस्सा यानी 1.0120 हैक्ट भूमि की अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 15/09/2025 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:20 IST
Reason: SelfAttested